तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/792/2006/भरतपुर** **फूलवती बनाम अमरचंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.1.25	**<u>एकल पीठ</u>** **कमला अलारिया, सदस्य** _ पत्रावली वास्ते लिखने निर्णय पेश हुई । प्रस्तुत प्रकरण में दौराने बहस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत हुये है कि विवादित आराजी के बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, कांमा के समक्ष लंबित वाद पत्र संख्या 202/2003 दिनांक 23.6.2009 को निर्णित हो चुका है। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायलाय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील पेश होने पर उक्त अपील भी दिनांक 11.03.2011 को निर्णित की जा चुकी है। जिसके विरूद्ध राजस्व मंडल के समक्ष द्वितीय अपील वर्तमान में लंबित चल रही हैं। ऐसे स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा के सबंध में पारित आदेश मूल दावे के निर्णय में समाहित होने से हस्तगत निगरानी याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रस्तुत निगरानी निष्प्रभावी होने खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** **सदस्य**	